

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक पाली/28/2006-2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि श.म. श.स. कुवाड

शिक्षण संस्थान, पाली जिला पाली का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक अक्टूबर माह गुलाई सन् दो हजार छ

को पाली में दिया गया।

(श.स. के. वि. गेई)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
पाली-मारवाड़ (राज.)